

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-312/2025 दिनांक 08.11.2025)
***दिनांक-08.11.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना सेवरहीं पुलिस द्वारा 148 पाउच अवैध देशी शराब के साथ दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री राकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 07/08.11.2025 की मध्य रात्रि थाना सेवरहीं पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों 1- रंजीत कुमार सिंह पुत्र बैद्यनाथ सिंह 2- भीम कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी गण हेमु छपरा थाना बैकुण्ठपुर जिला गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 148 पाउच अवैध देशी शराब(दिवाना) की बरामदगी की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सेवरहीं पर मु0अ0सं0 339/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 339/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1-रंजीत कुमार सिंह पुत्र बैद्यनाथ सिंह निवासी हेमु छपरा थाना बैकुण्ठपुर जिला गोपालगंज बिहार
- 2- भीम कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी हेमु छपरा थाना बैकुण्ठपुर जिला गोपालगंज बिहार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष धीरेन्द्र राय थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 राजेश यादव थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर
3. का0 आनन्द राय थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर



थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.11.2025 को थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 625/2025 धारा 138/64/352/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त नसीम सिद्दीकी पुत्र यासीन सिद्दीकी निवासी मकान नं0-सी-22 सेक्टर ई अलीगंज थाना अलीगंज जनपद लखनऊ को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मुं0अ0सं0- 625/2025, धारा- 138/64/352/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना को0हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त—

नसीम सिद्दीकी पुत्र यासीन सिद्दीकी निवासी मकान नं0-सी-22 सेक्टर ई अलीगंज थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्र0नि0 श्री रामसहाय चौहान थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 2.अपराध निरीक्षक गुलाब यादव थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 3.उ0नि0 राजू यादव थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 4.का0 ज्ञान प्रकाश सूर्यवंशी थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 5.का0 इन्द्रजीत सिंह थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

NH-28 कुशीनगर से निकलने वाले ट्रको व लग्जरी बसों के चालकों को अधिकारियों व प्रवर्तन वाहन की सूचना व लोकेशन देते हुए वाहनों को पास कराने एवं अवैध वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 06.11.2025 को थाना कोतवाली हाटा पर सहायक आयुक्त (प्रभारी) सचल दल राज्यकर कुशीनगर द्वारा तहरीर दिया गया कि हेतिमपुर टोल प्लाजा के पास स्थित सेठी ढाबा के मालिक सुनील कुमार अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर NH-28 कुशीनगर से निकलने वाले ट्रको व लग्जरी बसों के चालकों को अधिकारियों व प्रवर्तन वाहन की सूचना व लोकेशन देते हुए वाहनों को पास कराने एवं अवैध वसूली का



कार्य किया जाता है। उक्त लोगों द्वारा अपराधिक षड़यंत्र कर धोखा धड़ी करके संगठित गिरोह बनाकर ट्रकों व लग्जरी बसों आदि वाहनों से चालान होने का भय दिखाकर अवैध वसूली की जाती है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली हाटा पर मु0अ0सं0- 624/2025 पंजीकृत कराया गया तथा शीघ्र अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण तथा श्री कुन्दन सिंह क्षेत्राधिकारी कसया कुशीनगर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसेक क्रम में आज दिनांक 08.11.2025 को थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा प्रकरण का अनावरण करते हुए अपराध में संलिप्त तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 624/2025 धारा-

111(2)(B)/221/308(2)/318(4)/61(2) बीएनएस थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सुनील कुमार पुत्र अजब सिंह साकिन मुडेडा थाना सरधना जनपद मेरठ
2. सुरेश कुमार पुत्र फूल सिंह साकिन मुडेडा थाना सरधना जनपद मेरठ
3. आंशु कुमार पुत्र नरेश कुमार साकिन वार्ड नं0- 25 गोपालसिंह थाना सोनगढ़ी जनपद पीलीभीत

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अदद रजिस्टर
2. अभियुक्त सुनील कुमार से जामा तलासी से बरामद 18,000/- रुपये व एक अदद मोबाइल व 22 अदद विजिटिंग कार्ड, 07 अदद एटीएम कार्ड व एक अदद ड्राइविंग लाइसेंस, एक अदद आधार कार्ड
3. अभियुक्त सुरेश कुमार के जामा तलासी से 9,900/- रुपये व एक अदद मोबाइल
4. अभियुक्त आशु कुमार के जामा तलासी से 7,850 रुपये व एक अदद मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रामसहाय चौहान थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
2. व0उ0नि0 रामचरन सरोज थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 संतराज यादव थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर



4. उ०नि० आनन्द मोहन यादव थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर
5. का० ज्ञानप्रकाश सूर्यवंशी थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर
6. का० शिवा सिंह थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर
7. का० इन्द्रजीत सिंह थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर

***थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा गोवध अधि० के मुकदमा में 25,000/-
रू० पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-***

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध व वांछित अभियुक्त/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 07.11.2025 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 45/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता नि० अधि० व 120 बी भादवि से संबंधित पुरस्कार घोषित 25,000/-रू० के वांछित अभियुक्त मतलूब पुत्र अयुब निवासी HN 120 दड़ियाल मुस्तकीम थाना टाडा जनपद रामपुर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 45/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता नि० अधि० व 120 बी भादवि थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

मतलूब पुत्र अयुब निवासी HN 120 दड़ियाल मुस्तकीम थाना टाडा जनपद रामपुर (उ०प्र०)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 18/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता नि० अधि० शिवली जनपद कानपुर देहात उ०प्र०
2. मु०अ०सं० 50/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उ०प्र०
3. मु०अ०सं० 279/2017 धारा 3/5ए/8 गोवध नि० अधि० व 3/5/8 गोवध नि० अधि० थाना टाडा जनपद रामपुर उ०प्र०
4. मु०अ०सं० 353/2022 धारा 3/5/8 गोवध नि० अधि० थाना टांडा जनपद रामपुर उ०प्र०
5. मु०अ०सं० 109/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना टांडा जनपद रामपुर उ०प्र०
6. मु०अ०सं० 39/2024 धारा 3/ए/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु



गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2. हे०का० सर्वजीत यादव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3. का० जयनन्द यादव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
4. का० रविशेख प्रजापति थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 17 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-55 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु०-21, व्यक्ति-60
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(07)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-24)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

